

FROM 111

फर्द अहकाम

नियम (26)


अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

बनाम

वगैराह

किस्म मुकदमा :- प्रार्थना पत्र 111-128 राज0ले0रे0 एक्ट मुकदमा नं0 1 सन 2021

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2 21	<p>प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें।</p> <p>प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।</p> <p>प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र स्वामित्व बाबत् नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है जिससे जाहिर होता है कि पत्थर गढ़ी की जाने वाली भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 111-128 राज0ले0रे0 एक्ट स्वीकार किया है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्थरगढ़ी शुल्क 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें। भू-अभिलेख निरीक्षक <u>अमलीका श्रेडा</u> को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।</p> <p>पत्रावली निर्णित शुमार समझी जाकर नम्बर से कम की जावें। आदेश सुनाया गया।</p>	


उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 8/21

तारीख 12.2.2021



अनोपबाई पत्नि परशुराम जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी गोविन्दपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

मनोज पिता छितर जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक: 12.2.2021

प्रार्थना पत्र अनोपबाई पत्नि परशुराम जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी गोविन्दपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफुल धाकड एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हमारे एकल/संयुक्त खाते भूमि कि मौजा ग्राम देवनगर पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 2 पर अंकित आराजी संख्या 213/27 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि पर विपक्षी आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावेँ साथ में प्रार्थना पत्र की तार्ईद में शपथपत्र संलग्न है।


प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक उमा जी का खेडा को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस 500/- रूपयें तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर कि मौजा ग्राम देवनगर पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 2 पर अंकित आराजी संख्या 213/27 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनाथ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावेँ।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया


उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा